

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या- /XV-1/18/2(41)06
देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

पशुपालन विभाग के पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग के पशुचिकित्साधिरियों की ज्येष्ठता सूची इससे पूर्व क्रमांक-1 से 210 तक कार्यालय ज्ञाप संख्या 188/XV-1/2(41)2006 दिनांक 03 मार्च, 2009 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-4119/स्था०एक/प०चि०अ०-व०सू० /2015-16 दिनांक 06 जनवरी, 2016 एवं पत्र संख्या-4786 दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 से प्राप्त प्रस्ताव व आख्या के क्रम में वर्ष 2007 के उपरान्त नियुक्त पशुचिकित्साधिकारी की ज्येष्ठता सूची निर्धारण हेतु लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के माध्यम से सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से चयनित पशुचिकित्साधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1282/XV-1/17/2(41)/2006 TC के क्रम में संबंधित पशुचिकित्साधिकारियों से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी। इस संबंध में संबंधित पशुचिकित्साधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

1. डा० कमल तिवारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद उधमसिंहनगर के स्थान जनपद अल्मोड़ा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

डा० कमल तिवारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के स्थायी निवास प्रमाण के अनुसार गृह जनपद अल्मोड़ा है। अतः डा० कमल तिवारी की आपत्ति ग्रहण कर ली गई। तदनुसार ज्येष्ठता सूची में अंकित कर लिया गया है।

2. डा० निशान्त शर्मा, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि गलत अंकित होने का प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० निशान्त शर्मा, पशुचिकित्साधिकारी की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि दिनांक 27.05.1983 अंकित की गई। अतः डा० कमल तिवारी, की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि अंकित कर दी गई है।

3. डा० दीपेश शर्मा, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि गलत अंकित होने का प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० दीपेश शर्मा, पशुचिकित्साधिकारी की सेवापुस्तिका में जन्मतिथि दिनांक 25.12.1982 अंकित की गई। अतः डा० दीपेश शर्मा की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि अंकित कर दी गई है।

4. डा० शिव कुमार, पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद मुरैना, मध्य प्रदेश के स्थान पर अमौना, ओरंगाबाद, बिहार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

डा० शिव कुमार की सेवा पुस्तिका के अनुसार में गृह जनपद अमौना, ओरंगाबाद, बिहार अंकित किया गया है। अतः डा० शिव कुमार की आपत्ति ग्रहण कर ली गई। तदनुसार ज्येष्ठता सूची में अंकित कर लिया गया है।

5. डा० सतेन्द्र सिंह यादव, पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि तथा नियुक्ति तिथि गलत अंकित होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० सतेन्द्र सिंह यादव, पशुचिकित्साधिकारी की सेवा पुस्तिका के अनुसार डा० सत्येन्द्र सिंह यादव की जन्म तिथि 10.09.1979 तथा विभाग में नियुक्ति की तिथि 07.01.2011 है। अतः डा० सतेन्द्र सिंह यादव की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि तथा विभाग की नियुक्ति तिथि अंकित कर दी गई है।

6. डा० शीतल पंत, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में द्वारा जन्मतिथि तथा गृह जनपद गलत अंकित होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० शीतल पंत, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 की सेवापुस्तिका के अनुसार जन्मतिथि 12.12.1983 तथा गृह जनपद नैनीताल है। अतः डा० शीतल पंत की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि तथा गृह जनपद नैनीताल अंकित कर दी गई है।

7. डा० स्वाति भोज, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि तथा गृह जनपद गलत अंकित होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० स्वाति भोज, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 की सेवा पुस्तिका के अनुसार जन्मतिथि 06.11.1987 तथा गृह जनपद नैनीताल है। अतः डा० स्वाति भोज की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि तथा गृह जनपद अंकित कर दी गई है।

8. डा० सुनील कुमार सिंह, पशुचिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में गलत नाम अंकित होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० सुनील कुमार, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के हाईस्कूल प्रमाण पत्र में सुशील कुमार अंकित है। अतः डा० सुशील कुमार की आपत्ति ग्रहण करते हुए ज्येष्ठता सूची में डा० सुशील कुमार अंकित कर दी गई है।

9. डा० योगिता अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि तथा गृह जनपद गलत होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० योगिता अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि 16.08.1986 तथा सेवापुस्तिका के अनुसार गृह जनपद अल्मोड़ा है। अतः डा० योगिता अधिकारी की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि तथा गृह जनपद अंकित कर दी गई है।

10. डा० मृदुला तिवारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि तथा गृह जनपद गलत होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० मृदुला तिवारी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि 20.01.1988 तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के अनुसार गृह जनपद नैनीताल है। अतः डा० मृदुला तिवारी की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि तथा गृह जनपद अंकित कर दी गई है।

11. डा० मनोज कुमार गोला, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि गलत होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० मनोज कुमार गोला, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार जन्मतिथि 02.03.1985 है। अतः मनोज कुमार गोला की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि अंकित कर दी गई है।

12. डा० मृगाक्षी यादव पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जन्मतिथि गलत होने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया है।

डा० मृगाक्षी यादव पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 की सेवा पुस्तिका के अनुसार जन्मतिथि 21.09.1987 है। अतः मृगाक्षी यादव की आपत्ति ग्रहण करते हुए उनके नाम के सम्मुख जन्मतिथि अंकित कर दी गई है।

13. डा० पंकज उपाध्याय, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना नाम डा० चेतना पंत से पूर्व किये जाने का प्रत्यावेदन दिया गया है।

लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-57 दिनांक 31 मार्च, 2014 के द्वारा श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति हेतु चयनित पशुचिकित्साधिकारियों की सूची में डा० चेतना पंत का नाम क्रम संख्या-06 तथा डा० पंकज उपाध्याय का नाम क्रम संख्या-07 पर अंकित है। लोक सेवा आयोग से ज्येष्ठता क्रम में प्राप्त सूची के अनुसार ही ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाती है।

उत्तरांचल पशुचिकित्सा (समूह-ख) सेवा नियमावली, 2006 के भर्ती की प्रक्रिया के प्रस्तर-15(03) के अनुसार आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक

